उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या-14/2024/78/41-2-2024-सीएन-1775137
लखनऊ दिनांक 24 जनवरी, 2024

का शुद्धि पत्र

जनपद सहारनपुर के शाकुम्भरी देवी शक्तिपीठ में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के कार्य के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-04/2024/5884/ 001-41-2023- CN-1775137, दिनांक 11.01.2024 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तर-2 में टंकण त्रुटिवश धनराशि रू0 281.02 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के स्थान पर धनराशि रू0 181.02 लाख (जी0एस0टी0 सहित) अंकित हो गया है। अत: धनराशि रू0 181.02 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के स्थान पर धनराशि रू0 281.02 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 11.01.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- उप निदेशक पर्यटन, मेरठ/सहारनपुर मण्डल, मेरठ।
8- उप निदेशक (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in